-260-

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2017/अग्रहायण 3, 1939
No. 445] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGRAHAYANA 3, 1939

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2017

सं. एच.आर.डी./24/2016/आर.आर./स्टेनो कैडर.—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, एतदद्वारा केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति के तरीके का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है:

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-**

    (1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रधान निजी सचिव (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2017 कहा जाएगा।

    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-**

    उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अहर्ताएं आदि-**

    भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और इस पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **अयोग्यता- वह व्यक्ति**

    (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

-261

(ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की उस व्यक्ति पर लागू व्यक्तिगत विधि (पर्सनल लॉ) के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. ढ़ील देने की शक्ति-

जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह केंद्र सरकार के अनुमोदन से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढ़ील दे सकेगा।

6. व्यावृत्ति –

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्रधान निजी सचिव	16* (2017) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	ग्रुप 'क'	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (₹ 67700-208700)	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	**पदोन्नति :** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निजी सचिव के ग्रेड में छः वर्षों की अनुमोदित सेवा सहित **नोट:** जहां कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्व कर ली है, की	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- i. सचिव (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)- अध्यक्ष ii. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं

262

		पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों के नामों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उनकी वांछित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण की हो।	iii. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) – सदस्य (2) समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- i. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त - अध्यक्ष ii. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) – सदस्य iii. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त– **सदस्य**	

डॉ. वी.पी. जोय, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव, केन्द्रीय बोर्ड

[विज्ञापन-III/4/असा./313/17]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Employees' Provident Fund Organisation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2017

No. HRD/24/2016/RR/Steno Cadre.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of section 5(D) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board, Employees' Provident Fund with the approval of the Central Government, Ministry of Labour and Employment, hereby makes the following regulations for regulating the method of recruitment to the post of Principal Private Secretary in the Central Board, Employees' Provident Fund Organisation, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These Regulations shall be called the Employees' Provident Fund Organisation, Principal Private Secretary (Group 'A' post) Recruitment Regulations, 2017.

   (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**- The number of the posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications etc., attached to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**- No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Board, Employees' Provident Fund may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.-**

Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and with the approval of the Central Government, relax any of the provisions of these Regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-**
Nothing in these Regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	LEVEL in the Pay Matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Principal Private Secretary	16* (2017) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	LEVEL-11 in the Pay Matrix [₹ 67700 - 208700]	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	**Method of recruitment :** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	By Promotion.	**Promotion: -** Private Secretaries in the Employees' Provident Fund Organisation with six years regular service rendered in the grade. Note :- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(1) Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: I. Secretary (Ministry of Labour and Employment) – **Chairman** II. Central Provident Fund Commissioner – **Member** III. Additional Central Provident Fund Commissioner (HQ) – **Member** (2) Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: I. Central Provident Fund Commissioner – **Chairman** II. Additional Central Provident Fund Commissioner (HQ) – **Member** III. Additional Central Provident Fund Commissioner – **Member**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Dr. V.P. JOY, Central Provident Fund Commissioner and Secy., Central Board

[Advt.-III/4/Exty./313/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.11.24 21:40:25 +05'30'